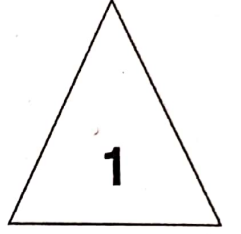


उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर



मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1AT/Safety/Safety Circular-1/JU/2025

दिनांक 31.01.2025

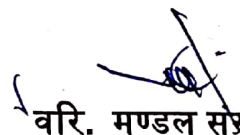
सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ) , वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत) , वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार) , वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार) , मुख्य नियंत्रक (बिजली) , प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर , गार्ड व चालक फ़ाइनल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी , प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी

मंडल संरक्षा परिपत्र - 01/2025

विषय : शंटिंग कार्य के दौरान ध्यान देने वाले नियम

1. शंटिंग कार्य का नियंत्रण स्थाई सिगनल, शंट-सिगनल, हैंड सिगनल, मौखिक निर्देशों एवं टी- 806 (शंटिंग आदेश) के द्वारा किया जाना चाहिये। शंटिंग संचालन की विधि साधारण एवं सहायक नियम एवं स्टेशन संचालन नियमों के अनुसार की जानी चाहिये।
2. शंटिंग कार्य के लिए सिगनलों के संकेत या लाइन सेट होने के बारे में लोको पायलट/शंटर को वॉकी-टॉकी सेट पर आर आर आई टॉवर या केबिन या पैनल पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निर्देश नहीं देने चाहिये।
3. जिस स्टेशन/यार्ड में शंटिंग जमादार नहीं हैं वहाँ शंटिंग का पर्यवेक्षण गार्ड के द्वारा किया जायेगा।
4. स्टेशन मास्टर/गार्ड/लोको पायलट शंटिंग के नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. जिस लाइन पर गाड़ी की शंटिंग की जा रही हो उसके सभी प्वाइंट सही लगे हुए व फेसिंग प्वाइंट लॉक होने चाहिये।
6. जिस गाड़ी का शंटिंग किया जा रहा हो उसके लिए नियमानुसार बतायी गयी गति का पालन किया जाना चाहिये तथा लोड को जोड़ते समय बम्प नहीं लगाना चाहिये।
7. सवारी गाड़ी की शंटिंग में इंजन को/लोड को जोड़ने से पूर्व 20 मीटर दूर खड़ा करना चाहिये व उसके पश्चात् सावधानीपूर्वक जोड़ना चाहिये।
8. शंटिंग के रास्ते में कोई समपार फाटक पड़ता हो तो उसे बंद एवं लॉक करवा देने की जिम्मेदारी शंटिंग के प्रभारी रेल सेवक की होगी।
9. जिस गाड़ी की शंटिंग की जा रही हो उसके हॉज पाइप व कपलिंग लटके हुए नहीं होने चाहिये।

10. शंटिंग के दौरान सक्षम रेल कर्मचारी अपने हैंड सिगनलों के संकेतों के द्वारा लोको पायलट से शंटिंग कार्य करवायेगा।
11. कोहरे या सिगनल की विफलता के समय शंटिंग के दौरान विशेष सावधानी रखें।
12. इसी तरह सिक या डेमेज वैगनों की शंटिंग में लोको पायलट व गार्ड भली भांति जाँच कर सावधानी से शंटिंग करेंगे।
13. शंटिंग के दौरान शंटिंग स्टाफ को स्टेशन संचालन नियमों में वर्णित नियमों की पूर्ण पालना करनी चाहिये।
14. शंटिंग संचालन के दौरान कॉस ओवर को साफ रखना चाहिये। कॉस ओवर को साफ रखने की जिम्मेदारी शंटिंग कार्य करने वाले कर्मचारियों की होगी।
15. शंटिंग के दौरान लोड, डिब्बे या वैगनों से फाउलिंग मार्क को अवरोधित न करे। फाउलिंग मार्क साफ रखे।
16. शंटिंग के दौरान निर्धारित पर्याप्त निर्वात या एअर प्रेशर बनाकर ही शंटिंग कार्य करें। जिससे लोड कंट्रोल में रहेगा।
17. स्टेशन यार्ड स्टाफ यह सुनिश्चित करे कि सभी नॉन इंटरलॉक्ड कॉटों पर कोटर बोल्ट उपलब्ध है।
18. नॉन इंटरलॉक यार्ड में शंटिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्वाइंट अनिवार्य रूप से क्लैम्पड/कॉटर बोल्टेड हैं।
19. सुनिश्चित करना चाहिये कि स्टेशन यार्ड में शंट सिगनल, एसपीआई (शंटिंग परमिट इंडीकेटर), प्वाइन्ट इंडीकेटर, ट्रेप इंडीकेटर तथा दूसरे संकेत सही कार्य कर रहे हैं।
20. शंटिंग कार्य के लिए सभी प्रकार के सिगनलों के संकेतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
21. शंटिंग के दौरान आर आर आई टॉवर, कैबिन तथा इंजन के पायदान पर चढ़ कर शंटिंग के लिए हाथ संकेत नहीं बताने चाहिये।
22. लोको पायलट को हैंड सिगनल, इंजन के पास से दिखाये जाने चाहिये।
23. सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य नियम 5.13, 5.14 सहायक नियम 5.13 (1) से 5.13 (18) तथा 5.14 (1) से 5.14 (3) का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।


 वरि. मण्डल सुरक्षा अधिकारी
 उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ. म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ